(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3049–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–7–2014 पारित द्वारा तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 3/ए–27/2013–14

विनय कुमार सिंह तनय स्व0 लाल चन्द्रकीर्तिसिंह
निवासी ग्राम नेबूहा, तहसील सिरमौर जिला रीवा

———आवेदक

विरूद्ध

1. स्वतंत्र कुमार सिंह तनय स्व0 चन्द्रकीर्ति सिंह
   निवासी ग्राम नेबूहा, तहसील सिरमौर जिला रीवा
2. शरद कुमार सिंह तनय चन्द्रकीर्ती सिंह
   निवासी ग्राम नेबूहा, तहसील सिरमौर जिला रीवा
   हाल पता 47 गोवर्धन धाम नगर उज्जैन म0प्र0
3. अरूण कुमार सिंह
   निवासी ग्राम नेबूहा, तहसील सिरमौर जिला रीवा

————अनावेदकगण

....

श्री वीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक आवेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12 जून 2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 3/ए–27/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो संक्षिप्त विवरण एवं आवेदक अभिभाषक के तर्क इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 की ओर से तहसील न्यायालय में बटवारा आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक एवं अनावेदक सगे भाई हैं और आवेदक का विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा है। आवेदक द्वारा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 7ए/2014 दिनांक 26–3–14 को प्रस्तुत किया था। आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में बटवारा कार्यवाही को रोकने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23–7–14 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। निगरानी प्रकरण में अधीनस्थ तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने बटवारा प्रकरण की कार्यवाही को रोकने के लिए प्रस्तुत आवेदन किसी वरिष्ठ न्यायालय की ओर से स्थगन आदेश के अभाव में अस्वीकार किया है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आपत्ति के निराकरण दिनांक 23–7–14 के लगभग चार माह पूर्व दिनांक 26–3–14 व्यवहार वाद दायर किया गया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178(1) में प्रावधानित किया गया है कि – "यदि किसी खाते में, जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारण किया गया हो, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा:

परन्तु यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाहीयों को तीन मास की कालावधि तक के लिए रोक देगा, जिससे कि हक संबंधी प्रश्न के अवधारण के लिए सिविल वाद का संस्थित किया जाना सुकर हो जाए।''

उपरोक्त विवेचना के आधार पर चूंकि तहसील न्यायालय ने आदेश के लगभग चार माह पूर्व व्यवहारवाद दायर किया जा चुका था तथा उसमें किसी प्रकार का स्थगन आदेश भी प्राप्त नहीं हुआ था, अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति अस्वीकार करने में किसी प्रकार कोई अनियमितता नहीं की है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर